संख्या-सम्ब0-344/सत्तर-2-2008-2(648)/2008

सेवा में,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 04 दिसम्बर, 2008

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः रू0वि0/सम्ब0/118(1)/2008/1948-49, दिनांक 30-07-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन महाराजा पृथ्वी राज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, पीपली नायक खार, रामपुर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2008-09 से सम्बद्धता की पूर्व स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में अंकित निदेश-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-344(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, महाराजा पृथ्वी राज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, पीपली नायक खार, रामपुर।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-120/सत्तर-2-2009-2(347)/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 17 नवम्बर, 2009

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःरू0वि0/सम्ब0/118(2)2009/2853-54, दिनांक 02-06-2009 एवं पत्रांकःरू0वि0/सम्ब0/2009-10/3021-22, दिनांक 09-07-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, पीपली नायक, स्वार, रामपुर को स्नातक स्तर पर कला सकायान्तर्गत बी0ए0 अतिरिक्त विषय (चित्रकला एवं गृह विज्ञान) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस-सी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-120(1)/सत्तर-2-2009-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, पीपली नायक, स्वार, रामपुर।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BareILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/2014/ 20703-16 दिनांक : 29.08.2014

सेवा मे,

प्रबन्धक,
महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय,
सरकथल, पीपलीनायक, स्यार टांडा, बाजपुर रोड,
रामपुर।

विषय : संस्था महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, टांडा, रामपुर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (अतिरिक्त विषय–उर्दू एवं भूगोल) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए.– समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2014–15 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 26.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्था महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, टांडा, रामपुर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (अतिरिक्त विषय–उर्दू एवं भूगोल) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम.ए.–समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2014–15 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उ0प्र0शासन के पत्रांक सम्ब0 1149/सत्तर–2–2014–16(124)/2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014 के द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन संस्था महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, टांडा, रामपुर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (अतिरिक्त विषय–उर्दू एवं भूगोल) की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम.ए.–समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिनांक 01.07.2014 से आगामी दो वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गई है।

संस्था द्वारा समस्त वांछित पत्रजात उपलब्ध करा दिये जाने की स्थिति में, कुलपति महोदय द्वारा संस्था महाराजा पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, सरकथल, टांडा, रामपुर को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (अतिरिक्त विषय–उर्दू एवं भूगोल) में प्रत्येक विषय में एक–एक सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) में सत्र 2014–15 से आगामी तीन वर्ष हेतु तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम.ए.–समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान पाठ्यक्रम में 01–01 सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र) में कक्षा संचालन की अनुमति तथा सम्बद्धता, कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में, सत्र 2014–15 से आगामी दो वर्ष हेतु, निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है :–

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियाँ यथा– प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण एवं एन.बी.सी. प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुये उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।